न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-15/2021

राज्य

बनाम्

सुजीत कुमार

-: आदेश :-

13/10/	वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1595/अप0शा0 दिनांक 01.09.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या-172/2020 दिनांक-03.09.2020 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा धारा-379/411/120(बी) भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 की धारा-21, "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13 एवं कोल माईन्स एक्ट की धारा- 30(ii) के तहत कांड में जप्त हाईवा रजि0 संख्या- JH02BA-8398 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त हाईवा रजि0 संख्या- JH02BA-8398 से संबंधित वाद अपीलार्थी के द्वारा लाया गया है जिसमें श्रीमान के समक्ष बालूमाथ थाना ज्ञापांक संख्या-1629(ए)/2021, दिनांक 24.08.2021 को समर्पित किया गया था एवं घटना की स्थलीय जांच प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को भी

निर्देशित किया गया था। जिसमें बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–172/2020 दिनांक 03.09.2020 में मांगी गयी विवरणी के आलोक में श्रीमान वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ जिला– लातेहार के पत्रांक 162 दिनांक 05.08.2021 में जांच प्रतिवेदन भेजी गयी, जिसमें स्पष्ट है कि घटना स्थल वन सीमा से बाहर है, जिसका प्रतिवेदन न्यायालय में सौंपी गयी है। न्यायालय के द्वारा बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–172/2020 में वाहन संबंधी अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रतिवेदन मांगी गयी एवं अनुसंधानकर्ता के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन क्रमशः बालूमाथ थान मेमो नं0– 1629A/2021 दिनांक 24.08.2021 एवं मेमो नं0–1161/लातेहार दिनांक 06.08.2021 के रिपोर्ट के अवलोकनोपरान्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय से दिनांक 01.09.2021 को वाहन मालिक के पक्ष में मुक्त करने की आदेश पारित किया गया गया है। राजसात वाद की कार्रवाई जानबुझकर वाहन मालिक सह प्रतिपक्षी को परेशान करने हेतु लाया गया है, जो कि बिल्कुल तथ्य से परे है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा राजसात की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गयी क्योंकि क्षेत्राधिकार से बाहर की घटना है।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार कार्यालय के पत्रांक 866/एम0 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा प्राप्त टंकित आवेदन में वर्णित गोलीटांड़ में अवैध कोयले से लदा हाईवा रजि0 संख्या– JH02BA-8398 जो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा रोककर रखा गया, जिसे जप्त कर अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त आवेदन के आलोक में थाना– प्रभारी बालूमाथ द्वारा थाना काण्ड संख्या– 172/20 दिनांक 03.09.2020 धारा– 379/411/120(बी) भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 की धारा–21, "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 13 एवं कोल माईन्स

एक्ट की धारा– 30(ii) के तहत् प्रथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक, अभिषेक कुमार को अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया गया। उक्त काण्ड का अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बालूमाथ द्वारा पर्यवेक्षण टिप्पणी में वादी आनन्द कुमार जिला खनन पदाधिकारी लातेहार के टंकित आवेदन एवं साक्षी पुलिस अवर निरीक्षक राणा भानु प्रताप सिंह, थाना प्रभारी बालूमाथ थाना के बयान को उल्लेख किया गया है, जिसमें साक्षियों द्वारा अवैध कोयला परिवहन करने में हाईवा रजि0 संख्या– JH02BA-8398 को संलिप्त होने की पुष्टि की गयी है तथा अवैध कोयला परिवहन कार्य में संलिप्त वाहन को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि राजसात के मामले की सुनवाई एक साथ उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय, लातेहार में चलाई गई है। व्यवहार न्यायालय में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश द्वारा जप्त वाहन को रिलिज किये जाने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर संबंधित पुलिस अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय को उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में चल रहे राजसात की कार्रवाई की सूचना ससमय नहीं दिया गया, जिससे व्यवहार न्यायालय द्वारा No Objection का Submission मानते हुए वाहन को रिलिज कर दिया गया है, जो कि नियमसंगत नहीं है क्योंकि "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में वर्णित है, "Any Minerals, tool, equipment, vehical or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such Court." इस प्रकार राजसात हेतु पकड़े गये वाहन को राजसात की कार्यवाही की शक्ति जिले के उपायुक्त को प्रदान की गयी है।

अतः उपरोक्त नियम के आलोक में अंतरिम आदेश निम्नवत्

पारित किया जाता है :–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, लातेहार ऐसे मामले से संबंधित कार्यवाही न करने हेतु अपने अधिनस्थ न्यायिक दण्डाधिकारी को आवश्यक निदेश जारी करने की कृपा करेंगे।
2. पुलिस अधीक्षक, लातेहार, अनुसंधानकर्ता को अपने स्तर से कारण पृच्छा करते हुए इस न्यायालय को अवगत करायेंगे साथ हीं सभी थाना प्रभारी तथा अनुसंधानकर्ता को यह भी निदेशित करें कि न्यायिक दण्डाधिकारी के कोर्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे एवं स्पष्ट Submission देंगे।
3. चूंकि "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में निहित प्रावधान के विपरीत व्यवहार न्यायालय के द्वारा वाहन को मुक्त कर दिया गया है। अतः पुलिस अधीक्षक, लातेहार उक्त वाहन को जप्त करते हुए इस न्यायालय को अवगत करायेंगे।

उक्त का अनुपालन प्राप्त होने के पश्चात् पेशकार अभिलेख उपस्थापित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17/10/

उपायुक्त,
लातेहार।

17/10/

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:21:56 +05:30
Location: 192.168.164.143